

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

॥ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ॥

बुधवार, 27 दिसम्बर, 2000/पौष 06, 1922 ॥ शक ॥

संख्या : 116

सदस्यों की नजरबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को धाना गांधी नगर, दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों सर्वश्री सुभाष चोपड़ा, अरविन्दर सिंह लवली, महाबल मिश्रा, ब्रह्म पाल, मुकेश शर्मा तथा श्रीमती मीरा भारद्वाज को 26.12.2000 को 1355 बजे दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत पुलिस के विधि सम्मत् निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण नजरबन्द किया गया ।

उन्हें वहीं से उसी दिन अर्थात् 26.12.2000 को 1400 बजे रिहा कर दिया गया ।"

एस.के.शर्मा  
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT.

BULLETIN PART-II

( General information relating to Legislative & other matters )

Wednesday 27th December, 2000/ Poush 6, 1922(Saka)

No. 116

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from SHO, Gandhi Nagar, Delhi:-

" I have the honour to inform you that S/Shri Subhash Chopra, Arvinder Singh Lovely, Mahabal Mishra, Brahm Pal, Mukesh Sharma and Smt Meera Bhardwaj, MLAs were detained u/s 65 of Delhi Place Act., 1978 for disobeying the lawful directions of Police at 1355 hours on 26.12.2000.

They were released at 1400 hours from the same place on the same day i.e. 26.12.2000."

S. K. SHARMA  
SECRETARY